

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/15/2022	2022/59	25-07-2022	12-07-2023
01- नगर विकास न्यास अलवर जयें सचिव/सचिव नगर विकास न्यास अलवर (राजस्थान)			- अपीलान्ट

बनाम

01- बत्तो देवी पत्नि पूरनराम जाति मीणा निवासी ग्राम मीणापुरा तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)

- रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार रामगढ दिनांक 03.09.2021 नामान्तकरण संख्या 614 वाके ग्राम अग्यारा तहसील रामगढ जिला अलवर।

-वकील अपीलान्ट
-वकील रेस्पोजेन्ट



उपस्थित:-

01-श्री अशोक शर्मा
02-श्री तेजसिंह चौधरी

-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2021 नामान्तकरण संख्या 614 वाके ग्राम अग्यारा तहसील रामगढ जिला अलवर। जिसके द्वारा नामान्तकरण में वर्णित विवादित आराजीयात को रेस्पोजेन्ट के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकार किया गया है। से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्ती नामान्तकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 545 (955/545) रकबा 25 ऐयर, 546 (957/546) रकबा 50 ऐयर, 735 (959/735) रकबा 25 ऐयर कित्ता 3 रकबा 1.00 है0 ग्राम अग्यारा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में पूर्व में अपीलान्ट नगर विकास न्यास अलवर के नाम दर्ज रिकार्ड थी, तहत अदालत तहसीलदार के द्वारा मुताबिक न्यायालय के आदेश से नामान्तकरण दर्ज कर निणित किया गया है, किन्तु आदेश किस न्यायालय का है, व किस उनवानी प्रकरण का/किस दिनांक का आदेश है, यह कही नामान्तकरण पर अंकित नहीं किया गया है। विवादित आराजीयात सिवायचक भूमि है, जो कि शहरी परिक्षेत्र में स्थित सिवायचक व नजूल भूमि होने के कारण नगर विकास न्यास अलवर में निहित हो जाती है, और बाद अधिसूचना ऐसी आराजी का निस्तारण बिना नगर विकास न्यास अलवर को सुने नहीं किया जा सकता है। नामान्तकरण संख्या 614 निर्णय दिनांक 03.09.2021 वाके ग्राम अग्यारा तहसील रामगढ जिला अलवर में वर्णित आराजीयात पूर्व में सिवायचक भूमि रही है, ऐसी स्थिति में कानूनन सिवायचक भूमि की खातेदारी किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी व्यक्ति विशेष को प्रदान नहीं की जा सकती है। राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.10(23) न.वि.वि./3/10 दिनांक 13.10.2011 राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.) जयपुर को अलवर के नगरीय क्षेत्र जिसमें तहसील अलवर के 76 राजस्व ग्रामो एवं तहसील रामगढ के 10 राजस्व ग्रामो को शामिल

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्टान/रेस्पोडेन्ट की बहस पर गनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश 03.09.2021 बाबत नामान्तकरण संख्या 614 वाके ग्राम अग्यारा तहसील रामगढ जिला अलवर। के विरुद्ध यह अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 25.07.2022 को पेश की गयी है, जो करीब 10 माह पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है। विलम्ब की अवधि असाधारण नहीं है, अपीलान्ट ने अपील विलम्ब से पेश की है, तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नहीं किया अपील किये जाने में हुये विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दिन-प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना होता है, जो अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना-पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में स्पष्ट नहीं किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2021 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 15.07.2022 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के विन्दु पर नरमी का रुख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित आराजी खसरा आराजी खसरा न0 545 (955/545) रकबा 25 ऐयर, 546 (957/546) रकबा 50 ऐयर, 735 (959/735) रकबा 25 ऐयर किता 3 रकबा 1.00 है0 ग्राम अग्यारा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में पूर्व में अपीलान्ट नगर विकास न्यास अलवर के नाम दर्ज रिकार्ड थी, तहत अदालत तहसीलदार के द्वारा मुताबिक न्यायालय के आदेश से नामान्तकरण दर्ज कर निणित किया गया है, वकील रेस्पोडेन्ट का कथन है, कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 18.03.2021 से असन्तुष्ट होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त के यहाँ अपील पेश की गयी थी, जिस तत्कालीन अपील में रेस्पोडेन्ट नगर विकास न्यास अलवर द्वारा जवाब पेश कर बहस की गयी तत्पश्चात ही न्यायालय द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 24.08.2021 को किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार रामगढ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2021 बाबत नामान्तकरण संख्या 614 वाके ग्राम अग्यारा तहसील रामगढ जिला अलवर। जिसके द्वारा नामान्तकरण में वर्णित विवादित आराजीयात को रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। किन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार रामगढ को अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है, ऐसी स्थिति में पक्षकार को सुने बिना निर्णय पारित किया जाना उचित नहीं समझते है। विधिक प्रावधानानुसार किसी भी प्रचलित आदेश को चेंलेज किये जानने हेतु सक्षम न्यायालय में पक्षकार बनाया जाकर विधिवत कार्यवाही कर निर्णय पारित किये जाने का प्रावधान है। जिससे अभाव में अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तथा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2021 बाबत नामान्तकरण संख्या 614 वाके ग्राम अग्यारा तहसील रामगढ जिला अलवर यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(उत्तम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)